

मतुआ समुदाय

स्रोत: हट्टिसुतान टाइम्स

पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय नागरकित्त संशोधन अधनियिम (Citizenship Amendment Act- CAA), 2019 के कार्यान्वयन की मांग कर रहा है।

- मतुआ, बंगाली हट्टियों का एक वंचित/दलित वर्ग है। यह वर्ग बंगाल के अनुसूचित जातिसमूह का हस्सिसा है। वर्ष 1971 के युद्ध (जसिके परिणामस्वरूप बांग्लादेश अस्तित्त्व में आया) से पूरव तथा उसके पश्चात् मतुआ समुदाय के लाखों लोगों ने धार्मक उत्पीड़न से परेशान होकर भारत में प्रवास किया।
- पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जात की कुल आबादी में नामशूद्र (मतुआ) समुदाय की हस्सिसेदारी 17.4% है और उत्तर बंगाल में राजबांशियों के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा समूह है।
- हरचिंद ठाकुर नाम के एक समाज सुधारक को मतुआ महासंघ (Matua Mahasangha) का संस्थापक माना जाता है, जो मतुआ समुदाय का प्रतिनिधित्त्व करता है।
 - इन्होंने जात आधारित उत्पीड़न का वरिोध किया तथा दलितों के शक्तिषा और सामाजिक उत्थान की दशिया में कार्य किया।

और पढ़ें: नागरकित्त संशोधन अधनियिम

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/matua-community>